



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227265
CG-DL-E-31052021-227265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926]
No. 1926]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

का.आ. 2071(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को गन्ना नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में -
(क) खंड 2 में,-
(i) उप खण्ड (ग) के लिए, निम्नलिखित उप-खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

‘(ग) “फैक्टरी या शुगर फैक्टरी” का अर्थ है, ऐसा परिसर जहां गन्ने के किसी भाग की पेराई की जाती है और वैक्यूम पैन प्रक्रिया या स्वयं द्वारा चयनित विकल्प से चीनी तैयार की जाती है अथवा बी-हैवी शीरे सहित गन्ने के रस या चीनी या चीनी के सिरप से इथेनोल तैयार किया जाता है;

(ii) उप-खण्ड (i) के लिए, निम्नलिखित उप-खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

‘(i) “चीनी उत्पादक” का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वैक्यूम पैन प्रक्रिया से चीनी उत्पादन का कारोबार करता है या स्वयं द्वारा चयनित विकल्प बी-हैवी शीरे सहित गन्ने के जूस या चीनी या चीनी के सिरप या शीरे से इथेनोल तैयार करता है।’

(ख) खण्ड 3 में, उप-खण्ड (1) में, स्पष्टीकरण (3) के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“स्पष्टीकरण (3) - इस आदेश के प्रयोजन से, “इथेनोल” में रेक्टिफाइड स्पिरिट, विशेष रूप से डी-नेचर्ड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, एक्सोल्यूट अल्कोहल, एनहाइड्रस डी-नेचर्ड इथेनोल, फ्यूल ग्रेड इथेनोल या इथाईल अल्कोहल का कोई अन्य रूप सम्मिलित है।” (ग) खण्ड 6 ख में, उप-खण्ड (2) में, निम्नलिखित परंतुक को डाला जाएगा, नामतः -

“बशर्ते कि किसी फैक्ट्री के मामले में, जिसे बी-हैवी शीरे सहित गन्ने के जूस या चीनी या चीनी के सिरप या शीरे से इथेनोल का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है, कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है”;

(घ) खंड 6ग में,

(i) उप-खंड (1) में, ‘तीन वर्ष होगा’ शब्दों के लिए, “बी-हैवी शीरे सहित गन्ने के जूस या चीनी या चीनी के सिरप या शीरे से केवल इथेनोल के उत्पादन के मामले में तीन वर्ष होगा” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-खंड (2) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड समाविष्ट किया जाएगा, नामतः -

“(3) किसी फैक्ट्री के मामले में, जो बी-हैवी शीरे सहित गन्ने के जूस या चीनी या चीनी के सिरप या शीरे से केवल इथेनोल के उत्पादन, करने के लिए स्थापित की गई है, खण्ड 6क के स्पष्टीकरण 4 में विनिर्दिष्ट प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्धारित अवधि औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन में दर्ज किए जाने से तीन वर्ष की होगी जिसके न किए जाने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की मान्यता समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि यदि इथेनोल का उत्पादन निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो प्रधान निदेशक (शर्करा), शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय, परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रगति जैसे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था, पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त करना और बैंकों द्वारा ऋण के संवितरण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को लागू करने और उसके वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने के लिए एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

[फा. सं. 3(3)/2018-एसपी-1]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 16 जुलाई, 1966 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1126/आव.वस्तु/गन्ना के तहत मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और तदुपरांत निम्नलिखित के जरिए इन्हें संशोधित किया गया था:-

1. सा.का.नि. 35/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 05.01.1967
2. सा.का.नि. 1591/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 17.10.1967
3. सा.का.नि. 945/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 18.05.1968
4. सा.का.नि. 1456/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 02.08.1968
5. सा.का.नि. 620(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 08.04.1970
6. सा.का.नि. 402(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 25.09.1974
7. सा.का.नि. 492(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 12.09.1975
8. सा.का.नि. 542(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 27.10.1975
9. सा.का.नि. 484(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 26.07.1976
10. सा.का.नि. 799(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 13.09.1976
11. सा.का.नि. 815(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 24.09.1976
12. सा.का.नि. 913(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 09.12.1976
13. सा.का.नि. 62(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 02.02.1978

14. सा.का.नि. 197(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 28.03.1978
15. सा.का.नि. 427(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 03.07.1981
16. सा.का.नि. 79(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 24.02.1982
17. सा.का.नि. 695(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 09.09.1983
18. सा.का.नि. 903(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 29.11.2000
19. सा.का.नि. 113(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 20.02.2003
20. सा.का.नि. 204(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 22.03.2004
21. का.आ. 1940(अ)दिनांक 10.11.2006
22. का.आ. 1309(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 31.07.2007
23. का.आ. 2198(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 28.12.2007
24. का.आ. 2984(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 29.12.2008
25. का.आ. 2665(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 22.10.2009
26. का.आ. 33(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 07.01.2010
27. सा.का.नि. 2787(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 24.08.2016
28. का.आ. 3093(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 30.09.2016
29. का.आ. 3663(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 26.07.2018
30. का.आ. 5258(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 12.10.2018
31. का.आ. 4149(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 19.11.2019
32. का.आ. 4778(अ)/आव.वस्तु/गन्ना, दिनांक 30.12.2020

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 2021

S.O. 2071(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,—

(a) in clause 2,—

(i) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

‘(c) “factory or sugar factory” means any premises including the precincts thereof in any part of which sugarcane is crushed and either sugar is manufactured by vacuum pan process or at its own option, ethanol is manufactured from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or molasses, including B-Heavy molasses;’;

(ii) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

‘(i) “producer of sugar” means a person carrying on the business of manufacturing sugar by vacuum pan process or at its own option, manufacturing of ethanol from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or molasses, including B-Heavy molasses;’;

(b) in clause 3, in sub-clause (1), for *Explanation (3)*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

‘*Explanation (3)*.— For the purpose of this order, “ethanol” includes rectified spirit, special de-natured spirit, extra neutral alcohol, absolute alcohol, anhydrous de-natured ethanol, fuel grade ethanol or any other form of ethyl alcohol.’;

(c) in clause 6B, in sub-clause (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the requirement of submission of performance guarantee is not required in case of a factory set up to produce only ethanol from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or molasses including B-Heavy molasses.”;

(d) in clause 6C,—

(i) in sub-clause (1), for the words “shall be three years”, the words “shall, except in the case of production of only ethanol from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or molasses including B-Heavy molasses, be three years” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(3) In the case of a factory set up to produce only ethanol from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or molasses including B-Heavy molasses, the stipulated time for taking effective steps as specified in Explanation 4 to clause 6A shall be three years from the date of filing of the Industrial Entrepreneur Memorandum, failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand derecognised:

Provided that in case where production of ethanol does not commence within the stipulated time, the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils may, after taking into consideration the progress made by the project proponent with respect to arrangement of land for the project, obtaining of environmental clearance and sanction or disbursement of loan by the bank, give extension of one year for implementing the Industrial Entrepreneur Memorandum and commencement of commercial production thereof.”.

[F. No. 3(3)/2018-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1126/Ess.Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966 and was subsequently amended *vide*:

1. G.S.R. 35/Ess.Com./Sugarcane dated 05.01.1967
2. G.S.R. 1591/Ess.Com./Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com./Sugarcane dated 18.05.1968
4. G.S.R. 1456/Ess.Com./Sugarcane dated 02.08.1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 08.04.1970
6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25.09.1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12.09.1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 27.10.1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26.07.1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13.09.1976
11. G.S.R. 815(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.09.1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 09.12.1976
13. G.S.R. 62(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 02.02.1978

14. G.S.R. 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28.03.1978
15. G.S.R. 427(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 03.07.1981
16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.02.1982
17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 09.09.1983
18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29.11.2000
19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 20.02.2003
20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22.03.2004
21. S.O. 1940(E) dated 10.11.2006
22. S.O. 1309(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 31.07.2007
23. S.O. 2198(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28.12.2007
24. S.O. 2984(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29.12.2008
25. S.O. 2665(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22.10.2009
26. S.O. 33(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 07.01.2010
27. G.S.R. 2787(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.08.2016
28. S.O. 3093(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 30.09.2016
29. S.O. 3663(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26.07.2018
30. S.O. 5258(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12.10.2018
31. S.O. 4149(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 19.11.2019
32. S.O. 4778(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 30.12.2020